राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाश बनाम देवनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	658/2023	
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
12/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02/12/2021 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को आराजी खसरा नम्बर 8897, 8300/1, 8301/9629, 8621, 8622, 8623/9628, 8903, 8619, 8620, 8623, 8738, 8747, 8769, 8801, 8802, 8804, 8807/9854 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेअनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कब्जेकाश्त को मध्यनजर रखते हुये राजस्व मण्डल के नियम (18 से 21) मीट्स एण्ड बाउन्ड्स क आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2023 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2023 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना जाहिर होता है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, ऐसेमें तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर विभाजन को लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अपीलार्थी तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर विभाजन की अपीलाधीन डिक्री को निरस्त करवाने हेतु यह अपील लेकर आये है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02/12/2021 के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाश बनाम देवनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायोचित्त प्रतीत होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2023 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 12/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर